


फद अहकाम
गानाध बनाम उरु फादा वरु

पालय

आ 127/2022

T#

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/1/22	<p>अधिवक्ता जमीन उपस्थित अधिवक्ता जमीन की अन्तर्गत अधिवक्ता निषेधा पर एक पक्षीय वरु मुक्ति करे जा- फा एवं रिपोर्ट का इतलालन किया गया एवं रिपोर्ट को उच्च-पक्षरान को अन्तर्गत अधिवक्ता निषेधाज्ञा से आगामी तारीख परी करे इस कदम पावन्द किया जाना है की विवादीत कृषी ख. न. 188, 877, 878, 880/262, 881/2623, 882/2645, 883/2372, 941, 943, 964 वाले गांव नैतपुरा तहसील मौजू में मौका व रिपोर्ट की अधा रिपोर्ट बनाये रखी जावे। उच्च अधिवक्ता को रिपोर्ट 170 से नोटिस लामला कया कर आगामी तारीख तक तारीख रिपोर्ट तहसील रिपोर्ट के साथ परी करे। अधिवक्ता स्थिति से आगामी तारीख परी को अधा स्थिति, आदेश स्वतः खारिज समझ जावे पतावती वास्तु तलवी दिनांक 25/1/22 को परी हो 882</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी मौजू, जिला जयपुर</p>
17/8/22	<p>अधिवक्ता जमीन उप. 01 जमीन द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जारिमे अधिवक्ता के मुल वाद को विज्ञा किये जाने का जा- पत्र स्वीकार</p>	

फर्द अहकाम

रामनाथ

बनाम प्रभुलाल वर्गे.

नाम न्यायालय

केस संख्या 122/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p>आज्ञा न्यायालय मे कोर न्यायाधी नही वास्तव</p> <p>रामनाथ</p> <p>प्र.व.व.</p> <p>दिनांक 12/10/22</p> <p>(रामनाथ) (वर्गी)</p>		<p>किपा जाकर झूल पाप विद्वा किपा जा मुका है। अब इत पत्रावली में कोर्ड कार्यवा अपेक्षित नहीं है। जर्जी जा जा. पत्र विद्वा किये जाने की अडुमति उदान की जाली है। पत्रावली पेसाल सुमार होकर दर्ज कागजार से कम हो लगा दाखिल पत्र हो।</p> <p>882</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर जिला</p>